



सत्यमेव जयते

संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A15-15/2019

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,

कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,

देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : १० मई, २०२२

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-3604/एचएनबीयूएमयू/2019-20 दिनांक 24 जून, 2019, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आपके द्वारा द्रोण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पोस्ट-खानपुर, जाफरपुर, दिनेशपुर रोड, उधमसिंह नगर को बी०-एससी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर मा० कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
द्रोण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पोस्ट-खानपुर, जाफरपुर, दिनेशपुर रोड, उधमसिंह नगर।	बी०-एससी० (नर्सिंग)	40	2019-20

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(2) प्राभूत राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियामक संस्था से मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उसकी प्रति इस सचिवालय को प्रेषित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

(3) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वविद्यालय की ध्यान में रखते हुए छात्रहित में संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू०जी०सी० विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। यदि अपूर्ण मानकों के कारण संस्थान की सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू०जी०सी० विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। यदि अपूर्ण मानकों के कारण संस्थान की सम्बद्धता पर प्रश्न चिन्ह अथवा मा० कुलाधिपति को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) शैक्षिक सत्र 2019-20 व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत छात्रहित में सत्र 2019-20 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्थान में उपलब्ध आधारसूत्र सुविधाएँ/मानक U.G.C./नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने अनिवार्य हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थानों को अभी से मानक पूर्ण किये जाने अनिवार्य हैं। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थानों को अभी से मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से कठोर निर्देश जारी किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : ४९९ (१)/जी०एस०(शिक्षा)/A15-15/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

2. प्राचार्य/प्रबन्धक, द्रोण कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्राम व पोस्ट-खानपुर, जाफरपुर, दिनेशपुर रोड, उधमसिंह नगर।

3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस० मद्दरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।